मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3312

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

खरगोन में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं

3312. श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खरगोन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के खरगोन और बड़वानी जिलों के उन शहरों की संख्या कितनी है जहाँ जनवरी 2025 से अमृत 2.0 के अंतर्गत जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) नल के कनेक्शन, गैर-राजस्व जल में कमी और सेवा गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में प्रगति को किस रीति से मापा जा रहा है;

(ग) जल पुनरुपयोग और संधारणीय शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या तकनीकी या वित्तीय बाधाओं के कारण किसी परियोजना को विलंब का सामना करना पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): जल एवं स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। सरकार अटल

नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसी विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अमृत/अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, उनका मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और उन्हें कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है।

राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा खरगोन लोक सभा क्षेत्र में जल आपूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन से संबंधित कुल 4 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 3 परियोजनाओं हेतु जनवरी 2025 में कार्य सौंपा जा चुका है। विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**जिला**	**शहरी स्थानीय निकाय**	**परियोजना का शीर्षक**	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)**	**ठेका दिए जाने की तिथि**
1	**खरगोन**	**खरगोन**	**नगर पालिका खरगोन के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन योजना**	**28.60**	**16-10-2025**
2	**बड़वानी**	**सेंधवा**	**जलापूर्ति योजना**	**22.56**	**25-06-2025**
3	**खरगोन**	**महेश्वर**	**अमृत 2.0 जल आपूर्ति योजना के तहत ओवरहेड जल टैंक और वितरण नेटवर्क का विकास**	**3.19**	**16-03-2024**
4	**बड़वानी**	**बड़वानी**	**अमृत 2.0 के तहत बड़वानी जल आपूर्ति योजना**	**21.02**	**16-07-2025**

इस प्रगति का आकलन घरों में जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। अमृत/अमृत 2.0 योजना के तहत और राज्यों के साथ कनवर्जेंस करते हुए, शहरी क्षेत्रों में अब तक 246 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अमृत/अमृत 2.0 योजना के तहत और अमृत शहरों के साथ कनवर्जेंस करते हुए 182 लाख सीवर कनेक्शन (मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) के तहत कवर किए गए घरों

सहित) उपलब्ध कराए गए हैं। 93,457.51 किलोमीटर का जल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया/बदला गया है और 26,995.61 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क बिछाया/बदला गया है। राज्यों द्वारा उद्योगों, बागवानी, कृषि आदि में प्रतिदिन लगभग 6,535 मिलियन लीटर (एमएलडी) शोधित जल का पुन: उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब तक 16.54 लाख नल कनेक्शन और 5.73 लाख सीवर कनेक्शन (एफएसएसएम के अंतर्गत आने वाले घरों सहित) प्रदान किए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, शहरों ने शहरी जल संतुलन योजनाएँ (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार की हैं, जिनमें जल आपूर्ति प्रणालियों का यथास्थिति मूल्यांकन शामिल है, जो शहरों/शहरी स्थानीय निकायों की सतत शहरी जल प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। जलाशयों का पुनरुद्धार अमृत 2.0 के प्रमुख घटकों में से एक है। अब तक, इस मिशन के तहत 6,083.32 करोड़ रु. की 2,991 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश में 511.75 करोड़ रु. की 430 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने, विभिन्न प्रकार की पुनर्भरण संरचनाओं का प्रदर्शन करने और शहर के अधिकारियों और नागरिकों को जलभृत प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए, अमृत 2.0 के तहत शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट (एसएएम) पहल को भारत के 9 अलग-अलग शहरों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। एसएएम 2.0 के तहत इसे मध्य प्रदेश के 5 शहरों सहित 75 अतिरिक्त शहरों तक विस्तारित किया गया है।

गैर-राजस्व जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, राज्यों ने अमृत 2.0 के अंतर्गत जल से नल (डीएफटी) परियोजनाएं और स्मार्ट निगरानी प्रणालियां जैसे पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए), मीटर, प्रेशर वाल्व आदि को अपनाया है, ताकि रखरखाव प्रणालियों, डिजिटल निगरानी, ऊर्जा दक्षता आदि को सुदृढ़ किया जा सके। राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के भीतर एक जिला मीटर क्षेत्र (डीएमए) या वार्ड में कम से कम एक डीएफटी परियोजना कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमृत 2.0 के तहत 1,153 जिला मीटर क्षेत्रों (डीएमए) में फैली 408 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनसे 16.72 लाख घरों को लाभ मिलेगा। अमृत के अंतर्गत 258 जल आपूर्ति योजनाओं में एससीएडीए प्रणाली है और अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में एससीएडीए प्रणाली का प्रावधान है। मिशन ने अंतिम घर तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रति कनेक्शन 3000 रु. का प्रावधान किया है।

अमृत 2.0 की परिकल्पना प्रत्येक शहर के लिए शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिसमें शोधित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, जलाशयों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 500 अमृत शहरों के लिए अमृत 2.0 के सीवरेज घटक के तहत, एंड-टू-एंड रीयूज़

योजना के साथ तृतीयक शोधन (अधिमानतः सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में); एंड-टू-एंड शोधन और रीयूज़ सहित सीवरेज प्रणालियों का प्रावधान/संवर्धन और पुनर्वास; पुनर्चक्रण के लिए प्रयुक्त जल का दोहन; पुनर्चक्रित प्रयुक्त जल के थोक उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और संभावित उपयोगकर्ताओं (जैसे कपड़ा/चमड़ा/कागज/विद्युत संयंत्र/रेलवे आदि जैसे औद्योगिक समूह) को सुविधाजनक तरीके से प्रयुक्त जल का विक्रय करना स्वीकार्य घटक हैं।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए) ने अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और शोधित निर्वहन जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहन देना है। सर्कुलैरिटी को संस्थागत रूप देने के लिए, इस पहल के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रकोष्ठ (डब्ल्यूआरआरसी) स्थापित किए गए हैं, ताकि संसाधन पुनर्प्राप्ति उपायों की आयोजना बनाई जा सके, निगरानी की जा सके और उन्हें व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके।

(घ) और (ङ): मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तकनीकी समस्याओं, भूमि की उपलब्धता, ठेकेदार के कार्य-निष्पादन या स्थानीय प्रशासनिक बाधाओं के कारण कुछ परियोजनाओं में देरी हो सकती है। राज्य ने सूचित किया है कि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) और समीक्षा बैठकों, अनुबंध प्रबंधन में सुधार, समय पर निधियाँ जारी करके और परियोजना डिजाइन में संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) घटकों को शामिल करके नियमित निगरानी की जाती है।

मिशन के दिशा-निर्देशों में कम से कम पांच वर्षों के संचालन एवं रखरखाव लागत वाली परियोजनाओं को शुरू करने की सिफारिश की गई है, जिनका वित्तपोषण उपयोगकर्ता शुल्क लगाकर या अन्य राजस्व स्रोतों के माध्यम से किया जा सकता है। मिशन का फ्रेमवर्क उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और वसूलने, गैर-राजस्व जल में कमी लाने, शोधित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण तथा वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों में बेहतरी जैसे सुधारों पर भी जोर देता है, ताकि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की संपत्तियों के स्थायी संचालन और रखरखाव की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह मिशन अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत और अमृत मित्र जैसी विभिन्न सुधार पहलों के माध्यम से राज्य/शहरी स्थानीय निकायों को जल शोधन संयंत्रों और सीवेज शोधन संयंत्रों के प्रबंधन में सहायता प्रदान कर रहा है।

*****